

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प राशमी

आदेश :-

प्राची के "खाता दुल्हती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी राशमी
व भूअनि राशमी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी /नायब
तहसीलदार राशमी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 138 के अनुसरण में राशमी तहसील राशमी व
जिला राजसमन्द की जनगणना संवत् 2020 में खाता संख्या 511 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	ता या	वर्तमान प्रविष्टि (शुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>राशमी</u>	<u>511</u>	<u>शुद्ध पुन लदरी जाते करीगा</u>	<u>शुद्ध पुन लदरी जाते करीगा</u>

राशमी
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राशमी

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार राशमी का सज्जक लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शुद्ध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्राची की राशमी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रवली।

राशमी
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
राशमी

